बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०—02 / केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI Pre-Matric Scholorship-01-04/2026-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल मार्ग,
पटना।

पटना, दिनांक—

विषयः—वित्तीय वर्ष 2026—27 में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु राज्यांश में रू० 334/— (रू० तीन सौ चौंतीस) मात्र की स्वीकृति।

आदेश— स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०—1088, दिनांक—04.09.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन, योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा— IX एवं X में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत समय—समय पर निर्धारित छात्रवृत्ति दर पर प्रदान किये जाने, कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 55,50,00,000/— (रू० पचपन करोड़ पचास लाख) मात्र की स्वीकृति, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित किये जाने एवं उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं०—67, दिनांक—10.01.2023 के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2—समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक— BC-11014/36/2023-BC-I, दिनांक—23.07.2025 द्वारा केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत Pre-Matric Scholarship for OBC Students, Post-Matric Scholarship for OBC Students & Construction of Hostels for OBC Boys and Girls को SNA-SPARSH के तहत क्रियान्वयन हेतु अधिसुचित किया गया है।

3—विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—87, दिनांक—13.08.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026—27 में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (60:40) हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश में क्रमशः रू० 3917.00 लाख एवं रू० 2611.33 लाख अर्थात कुल राशि रू० 6528.33 लाख (रू० पैंसठ करोड़ अठाईस लाख तैंतीस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

4—उल्लेखनीय है कि केन्द्राशं (60) के अनुपातिक राज्यांश (40) की कुल राशि रू० 26,11,33,333.33/— को Round Off का अनुपालन करते हुए हजार के गुणक में राज्यांश हेतु कुल राशि रू० 26,11,33,000/— स्वीकृत किया गया है जिसे वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशित NIC Sponsored Bihar SNA SPARSH JIT Portal में प्रविष्ट करने पर केन्द्रांश में By Default राशि रू० 39,16,99,500/— मात्र ही प्रदर्शित हुआ परन्तु केन्द्रांश में राशि रू० 39,17,00,000/— की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त पोर्टल में केन्द्रांश में By Default शेष राशि रू० 500/— मात्र प्रदर्शित होने हेतु राज्यांश में शेष राशि रू० 334/— (रू० तीन सौ चौंतीस) मात्र को उक्त पोर्टल में प्रविष्ट किया जाना है।

5—वित्तीय वर्ष 2026—27 में बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्यांश में रू० 334.00 (रू० तीन सौ चौंतीस) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6—कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष—2026—27 में मांग संख्या 11— पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्यशीर्ष 2225— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 03— पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277— शिक्षा, उपशीर्ष 0214—प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष 0214.34.01—छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड

P.T.O

11–2225-03–277–0214 पी०एफ०एम०एस० कोड–9493 अन्तर्गत राज्यांश में रू० 334/– (रू० तीन सौ चौंतीस) मात्र विकलनीय होगा।

7– केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु Single Nodal Agency पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है तथा कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) शिक्षा विभाग है।

8–इस स्वीकृत राशि के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, Implementing Agency(IA) के रूप में सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या–1088, दिनांक–04.09.2025 के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्त विभाग द्वारा SNA-SPARSH हेतु निर्गत प्रक्रिया के तहत स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार करेंगे तथा व्यय की गयी राशि की व्यय विवरणी समय–समय पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

9–उक्त स्वीकृत राशि का व्यय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष–2026–27 के छात्रवृति भुगतान के लिये किया जायेगा।

10– शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उक्त योजनान्तर्गत छात्रवृति की राशि को SNA-SPARSH के प्रक्रिया के तहत ही नियमानुसार व्यय करेंगें। उक्त स्वीकृत राशि को योजनान्तर्गत योग्य लाभुकों को नियमानुसार भुगतान प्रक्रिया हेतु वित्त विभाग के निदेशानुसार NIC Sponsored JIT Portal के माध्यम से किया जाएगा। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

11–संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

12– उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-43 से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

13– स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

14– प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16–इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारीयों को दिया जा रहा है।

17–पत्र प्राप्ति की कृपया सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(ऋषि कुमार),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI Pre-Matric Scholorship-01-04/2026- पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

P.T.O.

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment

ज्ञापांक–02 / केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI Pre-Matric Scholorship-01-04/2026-94, पटना, दिनांक-02/09/2026

प्रतिलिपि–अपर सचिव कोषांग / निदेशक / उप सचिव (बजट शाखा) / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई० टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/09/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।